

[To be published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II,
Section 3, Sub-section (ii)]

Government of India
Ministry of Finance
Department of Revenue
(Central Board of Direct Taxes)

Notification

New Delhi, the 18th September, 2013

[S.O.------(E).- In exercise of the powers conferred by clause (46) of section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies for the purposes of the said clause, the Rajasthan Electricity Regulatory Commission, a Commission established by the Government of Rajasthan, in respect of the following specified income arising to that Commission, namely :-


- “(a) amount received as petition filing fee ;
(b) interest earned on investment.”

2. This notification shall be deemed to have been applied for the financial year 2012-13 and shall applicable for the financial year 2013-14, 2014-15, 2015-16 and 2016-17.

3. The notification shall be effective subject to the following conditions, namely:-

- (a) the Rajasthan Electricity Regulatory Commission does not engage in any commercial activity;
- (b) the activities and the nature of the specified income of Rajasthan Electricity Regulatory Commission remain unchanged throughout the financial year ; and
- (c) the Rajasthan Electricity Regulatory Commission files return of income in accordance with the provision of clause (g) of sub-section (4C) of section 139 of the Income-Tax Act, 1961.

[Notification No. 69/2013 F.No.196/6/2012-ITA.1]



(Deepshikha Sharma)

Deputy Secretary to the Government of India

To

The Manager,
Government of India Press,
Ring Road, Mayapuri Industrial Press,
Near Rajouri Garden, New Delhi.

[भारत के राजपत्र के भाग-II, खंड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, दिनांक 18 सितम्बर, 2013

का.आ. (अ) - आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (46) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्वारा राजस्थान सरकार द्वारा स्थापित आयोग राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग को उक्त खंड के प्रयोजनार्थ उस आयोग को प्रोद्भूत होने वाली निम्नलिखित विनिर्दिष्ट आय के सम्बंध में अधिसूचित करती है,

वस्तुतः-

- (क) याचिका दायर करने के शुल्क के रूप में प्राप्त हुई राशि; तथा
- (ख) निवेश पर अर्जित किया गया ब्याज।


2. इस अधिसूचना को वित्त वर्ष 2012-2013 के लिए भी लागू किया हुआ माना जाना चाहिए तथा वित्त वर्ष 2013-14, 2014-15, 2015-16 एवं 2016-17 हेतु लागू किया जाएगा।

3. अधिसूचना निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रभावी होगी, वस्तुतः

- (क) राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग किसी प्रकार की वाणिज्यिक गतिविधि में शामिल नहीं है;
- (ख) राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग की गतिविधियां एवं विनिर्दिष्ट आय की प्रकृति पूरे वित्त वर्ष के दौरान एक बनी रहती है; तथा
- (ग) राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139 की उपधारा (4ग) के खण्ड (छ) के उपबंध के अनुसार अपनी आय की विवरणी दाखिल करता है।

4. विभिन्न अंतरराष्ट्रीय विकास अभिकरणों से आने वाली राशि उस समय मौजूद नियमों तथा विनियमों के अनुसार प्राप्त तथा लागू होगी।

[अधिसूचना संख्या 69/2013 फा.सं. 196/6/2012-आई टी ए-1)]


(दीपशिखा शर्मा)
उप सचिव, (आईटीए-1)

सेवा में,

प्रबंधक,
भारत सरकार मुद्रणालय,
रिंग रोड, मायापुरी औद्योगिक क्षेत्र,
(राजौरी गार्डन के पास), नई दिल्ली।

[To be published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II,
Section 3, Sub-section (ii)]

Government of India
Ministry of Finance
Department of Revenue
(Central Board of Direct Taxes)

Notification

New Delhi, the 18th September, 2013

[S.O.------(E).- In exercise of the powers conferred by clause (46) of section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies for the purposes of the said clause, the Rajasthan Electricity Regulatory Commission, a Commission established by the Government of Rajasthan, in respect of the following specified income arising to that Commission, namely :-

- Sub. A/100
18/9
- "(a) amount received as petition filing fee ;
(b) interest earned on investment."

2. This notification shall be deemed to have been applied for the financial year 2012-13 and shall be applicable for the financial year 2013-14, 2014-15, 2015-16 and 2016-17.

3. The notification shall be effective subject to the following conditions, namely:-

- (a) the Rajasthan Electricity Regulatory Commission does not engage in any commercial activity;
- (b) the activities and the nature of the specified income of Rajasthan Electricity Regulatory Commission remain unchanged throughout the financial year ; and
- (c) the Rajasthan Electricity Regulatory Commission files return of income in accordance with the provision of clause (g) of sub-section (4C) of section 139 of the Income-Tax Act, 1961.

[Notification No. 69/2013 F.No.196/6/2012-ITA.1]


(Deepshikha Sharma)

Deputy Secretary to the Government of India

To

The Manager,
Government of India Press,
Ring Road, Mayapuri Industrial Press,
Near Rajouri Garden, New Delhi.

[भारत के राजपत्र के भाग-II, खंड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, दिनांक 18 सितम्बर, 2013

का.आ. (अ) - आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (46) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्वारा राजस्थान सरकार द्वारा स्थापित आयोग राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग को उक्त खंड के प्रयोजनार्थ उस आयोग को प्रोद्भूत होने वाली निम्नलिखित विनिर्दिष्ट आय के सम्बंध में अधिसूचित करती है,

वस्तुतः-

- (क) याचिका दायर करने के शुल्क के रूप में प्राप्त हुई राशि; तथा
(ख) निवेश पर अर्जित किया गया ब्याज।

2. इस अधिसूचना को वित्त वर्ष 2012-2013 के लिए भी लागू किया हुआ माना जाना चाहिए तथा वित्त वर्ष 2013-14, 2014-15, 2015-16 एवं 2016-17 हेतु लागू किया जाएगा।

3. अधिसूचना निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रभावी होगी, वस्तुतः

- (क) राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग किसी प्रकार की वाणिज्यिक गतिविधि में शामिल नहीं है;
(ख) राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग की गतिविधियां एवं विनिर्दिष्ट आय की प्रकृति पूरे वित्त वर्ष के दौरान एक बनी रहती है; तथा
(ग) राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139 की उपधारा (4ग) के खण्ड (छ) के उपबंध के अनुसार अपनी आय की विवरणी दाखिल करता है।

4. विभिन्न अंतरराष्ट्रीय विकास अभिकरणों से आने वाली राशि उस समय भौजूद नियमों तथा विनियमों के अनुसार प्राप्त तथा लागू होगी।

[अधिसूचना संख्या 69/2013 फा.सं. 196/6/2012-आई टी ए-1]

दीपशिखा

(दीपशिखा शर्मा)
उप सचिव, (आईटीए-1)

सेवा में,

प्रबंधक,
भारत सरकार मुद्रणालय,
रिंग रोड, मायापुरी औद्योगिक क्षेत्र,
(राजौरी गार्डन के पास), नई दिल्ली।